संख्या-42/2021/1913276/12-5/9/2021

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ:: दिनांक 07 दिसम्बर, 2020**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 में फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन के आंकड़ों की डाटा बैंक योजना की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0 के पत्र संख्या-एस-1466/डाटा-बैंक-वित्तीय स्वीकृति/2021-22, दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्यय में प्राविधानित धनराशि रू.394.50 लाख के सापेक्ष फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन के आंकड़ो की डाटा बैंक योजना के अन्तर्गत निम्न विवरण के अनुसार धनराशि रू.95.03 लाख (रूपये पन्चानबे लाख तीन हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(धनराशि लाख रूपये में)

लेखाशीर्षक / योजना का नाम	**वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राविधान**	**वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि**
2401-फसल कृषि कर्म 111-कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी		
05-फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन के आंकड़ो का डाटाबैंक योजना	394.50	95.03
योग	**394.50**	**95.03**

मानक मद	**वित्तीय स्वीकृति**
02- मजदूरी	25.00
07- मानदेय	25.00
08- कार्यालय व्यय	0.00
11- लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	11.50
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.00
13- टेलीफोन पर व्यय	1.00
29- अनुरक्षण	2.50
42- अन्य व्यय	20.63
44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1.75
47- कम्प्यू 0 अनु 0/ तत्संबंधी स्टेशनरी	7.65
58- आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	0.00
योग	**95.03**

(रूपये पन्चानबे लाख तीन हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना की निर्धारित दिशागाइडलाइन्स एवं संगत नियमों के /निर्देशों- अनुसार ही किया जायेगा।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरें मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

5- वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि को निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाय। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्षक अधिकारी के निवर्तन परनियंत्र/ रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

6- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित कर बैंक डाकघर में नहीं रखी/ जायेगी।

7- प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह प्रशासकीय विभाग का उत्तरदायित्व होगा।

8- प्रशा0 विभाग द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य पूर्व में राज्य सरकार या अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अथवा किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

9- प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व आपका होगा।

10- सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहॉ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय।

11- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समयसमय पर जारी आदेशों - का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12- धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/ बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.3.2021 में दिये गये दिशानिर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।-

13- उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 111-कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी, 05-फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन के आंकड़ो की डाटा बैंक योजना के मानक मद 02-मजदूरी, 07-मानदेय, 08-कार्यालय व्यय, 11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई, 13-टेलीफोन पर व्यय, 29-अनुरक्षण, 42-अन्य व्यय, 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य प्रासंगिक व्यय तथा 47-कम्प्यू० अनु०/तत्संबंधी स्टेशनरी के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,
राजेन्द्र सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-42/2021/1913276/12-5/9/2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार प्रथम/द्वितीय-(सिविल/आडिट), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ०प्र०, कृषि भवन, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ संबंधित को धनराशि का आवंटन करते हुए आवंटन प्रति की प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

7- संयुक्त कृषि निदेशक (कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा) कृषि भवन, लखनऊ।

8- संयुक्त कृषि निदेशक (नियोजन) कृषि भवन, लखनऊ।

9- वित्त ई-1/नियोजन अनुभाग-3

10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अमर चन्द्र
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।